



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226671
CG-DL-E-16042021-226671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943

No. 129]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

विषय: भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)।

फा. सं. पी-29014/101/2020-एलईआई.—

1. प्रस्तावना

सरकार ने व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) को अनुमोदित किया है जिसे 6,238 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

यह व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईडब्ल्यूजी) व्हाइट गुड्स के विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और बड़े निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव

करती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रगत कमियों को दूर करना, बड़े पैमाने पर किफायत करना, निर्यात में वृद्धि करना, मजबूत घटक परिवेश का निर्माण और रोजगार सृजन करना शामिल हैं।

3. लक्षित खंड

भारत में एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के घटकों के विनिर्माण में निम्नानुसार लगी कंपनियों/इकाइयों को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी:

3.1 एयर कंडीशनर्स:

- (i) एयर कंडीशनर्स (घटक - उच्च मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा कम मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा सब-असेंबलीज अथवा इनका संयोजन)
 - बड़े निवेश
 - सामान्य निवेश
- (ii) उच्च मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं (कॉपर ट्यूब, एल्यूमिनियम फॉयल और कंप्रेसर)
 - बड़े निवेश
 - सामान्य निवेश
- (iii) कम मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएं (कंट्रोलर्स के लिए पीसीबी असेंबली, बीएलडीसी मोटर, एसी के लिए सर्विस वाल्व और क्रॉस फ्लो फैन और अन्य घटक)
 - बड़े निवेश
 - सामान्य निवेश

3.2 एलईडी लाइट्स:

- (i) एलईडी लाइटिंग उत्पाद (प्रमुख घटक जैसे एलईडी चिप पैकेजिंग, रजिस्टर्स, आईसी, फ्यूज और अन्य घटकों में बड़े स्तर के निवेश आदि)
 - बड़े निवेश
 - सामान्य निवेश
- (ii) एलईडी लाइटिंग उत्पादों के घटक (जैसे एलईडी चिप्स, एलईडी ड्राइवर्स, एलईडी इंजन, मेकैनिक्ल्स, पैकेजिंग, मॉड्यूल्स, वायर बंड इंडक्टर्स और अन्य घटक)
 - बड़े निवेश
 - सामान्य निवेश

4. प्रोत्साहन की मात्रा:

- 4.1 पीएलआई स्कीम में आधार वर्ष के पश्चात पांच (5) वर्षों और एक वर्ष की उत्पादन-पूर्व अवधि हेतु पात्र कंपनियों को, लक्षित खंड के तहत कवर होने वाले भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर आधार वर्ष में वृद्धिमान बिक्री (कर का निवल) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

- 4.2 आवेदक को पीएलआई हेतु पात्र होने के लिए उस संबंधित वर्ष में संयंत्र और मशीनरी में संचयी वृद्धिमान निवेश के साथ-साथ आधार-वर्ष के दौरान वृद्धिमान बिक्री के दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा। निवेश का पहला वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा और वृद्धिमान बिक्री का पहला वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा। संबंधित वर्ष के लिए पीएलआई का वास्तविक वितरण उस वर्ष के पश्चात किया जाएगा।
- 4.3 इस स्कीम में वित्त पोषण सीमित है और लक्ष्य से अधिक के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक सीमित होगा।
- 4.4 स्कीम से संबंधित सभी संगत ब्यौरे जैसे कि, आधार वर्ष, पात्रता मानदंड, लक्षित खंड, प्रोत्साहन की मात्रा, विभिन्न लक्षित खंडों के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड, आवेदन की अवधि, आदि को स्कीम के दिशा-निर्देशों में विस्तृत रूप से दिया जाएगा।
5. पात्रता:
- 5.1 स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए ब्राउनफील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश करने वाली कंपनियों को प्रदान किया जाएगा।
- 5.2 कंपनियों की पात्रता विभिन्न लक्ष्य खंडों हेतु ऐसे पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा किए जाने के अधीन होगी जिन्हें स्कीम के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।
- 5.3 एक कंपनी सिर्फ एक लक्षित खंड हेतु आवेदन कर सकती है। तथापि, अलग-अलग समूह कंपनियां अलग-अलग लक्ष्य खंडों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा अपनी समूह कंपनियों को की गई बिक्री, समूह से बाहर की कंपनियों की भांति निरपेक्ष कीमत पर की जानी चाहिए।
- 5.4 पात्रता संबंधित वर्ष के लिए आधार वर्ष के बाद विनिर्मित वस्तुओं (व्यापार वाली वस्तुओं से अलग) के संचयी वृद्धिमान निवेश और वृद्धिमान बिक्री (कर का निवल) की सीमा के अधीन होगी। आवेदक को प्रोत्साहन के वितरण हेतु पात्र होने के लिए सभी सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता के सीमा संबंधी मानदंड का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।
- 5.5 भारत सरकार की किसी अन्य पीएलआई स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी इस स्कीम के अंतर्गत समान उत्पाद के लिए पात्र नहीं होगी लेकिन वह भारत सरकार की अन्य लागू स्कीमों अथवा राज्य सरकारों की स्कीमों का लाभ उठा सकती है।
- 5.6 आवेदक को अपने आवेदन में स्कीम की समयावधि के दौरान स्वदेशी स्तर पर मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और निर्यात संबंधी योजना घोषित करनी होगी।

6. स्कीम की अवधि:

- 6.1 स्कीम के अंतर्गत सहायता, आधार वर्ष के पश्चात पांच (5) वर्ष की अवधि और निवेश का लाभ उठाने हेतु उत्पादन पूर्व एक वर्ष की अवधि तक प्रदान की जाएगी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।
- 6.2 यह स्कीम प्रारंभिक रूप में 6 माह की अवधि के लिए आवेदनों हेतु खुली रहेगी जिसे बढ़ाया जा सकता है।
- 6.3 किसी विशेष लक्ष्य खंड के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो स्कीम की समयावधि के दौरान किसी भी समय आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं।
- 6.4 आरंभिक आवेदन अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों के मामले में, आवेदक स्कीम की शेष समयावधि हेतु ही प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा।

7. आधार वर्ष:

विनिर्मित वस्तुओं (व्यापार वाली वस्तुओं से अलग) के संचयी वृद्धिमान निवेश और वृद्धिमान बिक्री (कर का निवल) के साथ-साथ पूर्व-योग्यता मानदंड के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना जाएगा।

8. लाभार्थियों का चयन :

- 8.1 तैयार वस्तुओं की सिर्फ असेंबलिंग किए जाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- 8.2 इस स्कीम के लिए कंपनियों का चयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे ऐसे घटकों अथवा सब-असेंबलीज के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके जिनका वर्तमान में भारत में विनिर्माण पर्याप्त क्षमता में नहीं किया जाता है।
- 8.3 बुनियादी/प्रमुख घटकों में निवेश करने वाली कंपनियों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
- 8.4 लक्षित घटकों के भीतर, 'बड़े निवेश' को 'सामान्य निवेश' की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
- 8.5 लक्षित घटक के भीतर लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का निर्णय उद्योग की प्रतिक्रिया के आधार पर लिया जाएगा।

9. वित्तीय परिव्यय :

- 9.1 पीएलआई स्कीम को 6,238 करोड़ रुपए (मात्र छः हजार दो सौ अड़तीस करोड़ रुपए) की कुल वित्तीय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा जो कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए है।
- 9.2 प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन: प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन आधार वर्ष के पश्चात विनिर्मित वस्तुओं (व्यापार वाली वस्तुओं से अलग) की वृद्धिमान बिक्री (कर का निवल) पर लागू होगा, जो कि लिए गए निर्णय के अनुसार अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन होगा और यह ऐसे लाभार्थी पर लागू होगा जो संचयी निवेश के मानदंड को पूरा करेगा।

10. समीक्षा और निगरानी

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएस) पीएलआई स्कीम की निगरानी करेगा, स्कीम के परिणामों की आवधिक समीक्षा करेगा, सभी पीएलआई की एकरूपता सुनिश्चित करेगा और व्यय को निर्धारित परिव्यय के भीतर रखना सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही, ईजीओएस को 6,238 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के भीतर स्कीम की पद्धतियों में किसी भी परिवर्तन का अधिकार होगा।

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

अनुबंध-क

1. पात्रता सीमा संबंधी मानदंड: एयर कंडीशनर्स

करोड़ रु. में

क्र.सं.	खंड	वर्ष	पीएलआई @	न्यूनतम संचयी वृद्धिमान निवेश	न्यूनतम वृद्धिमान बिक्री	न्यूनतम पीएल आई	न्यूनतम संचयी वृद्धिमान निवेश	न्यूनतम वृद्धिमान बिक्री	न्यूनतम पीएल आई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				बड़ा निवेश			सामान्य निवेश		
1	एसी (घटक@)	2021-22		150			50		
		2022-23	6%	300	750		100	250	
		2023-24	6%	400	1500	45	150	500	15
		2024-25	5%	500	2000	90	225	750	30
		2025-26	5%	600	2500	100	300	1125	38
		2026-27	4%		3000	125		1500	56
		2027-28				120			60
		कुल		600	9750	480	300	4125	199
2	एसी के उच्च मूल्य मध्यवर्ती वस्तुएं	2021-22		50			50		
		2022-23	6%	125	250		100	250	
		2023-24	6%	200	625	15	150	500	15
		2024-25	5%	300	1000	38	200	750	30
		2025-26	5%	400	1500	50	250	1000	38
		2026-27	4%		2000	75		1250	50
		2027-28				80			50
		कुल		400	5375	258	250	3750	183
3	एसी के निम्न मूल्य मध्यवर्ती वस्तुएं #	2021-22		20			10		
		2022-23	6%	40	100		20	50	
		2023-24	6%	60	200	6	30	100	3
		2024-25	5%	80	300	12	40	150	6
		2025-26	5%	100	400	15	50	200	8
		2026-27	4%		500	20		250	10
		2027-28				20			10
		कुल		100	1500	73	50	750	37

आसान पठनीयता के लिए आंकड़े पूर्णांक में दिए हैं।

@ एसी (घटक): उच्च मूल्य मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा कम मूल्य मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा सब-असेंबलीज अथवा उनका संयोजन

*एसी के उच्च मूल्य वाली मध्यवर्ती वस्तुएं: एल्युमिनियम फॉयल, क्यू ट्यूब, कप्रेसर।

एसी के निम्न मूल्य वाली मध्यवर्ती वस्तुएं: कंट्रोलर के लिए पीसीवी असेंबली बीएलडीसी मोटर्स, एसी के लिए सर्विस वाल्व, क्रॉस फ्लो फेंस और अन्य घटक।
कॉलम (4): संबंधित वर्ष के लिए पीएलआई का वास्तविक संवितरण उस वर्ष के बाद होगा। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 के आधार वर्ष के बाद विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिमान बिक्री सीमा वृद्धि के लिए और वित्त वर्ष 2021-22 तक आधार वर्ष पर संचयी सीमा वृद्धिमान की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से, पीएलआई वित्त वर्ष 2023-24 में संवितरित किया जाएगा।

अनुबंध-क

2. पात्रता सीमा मानदंड: एलईडी लाइट्स

करोड़ रु. में

क्र.सं.	खंड	वर्ष	पीएलआई @	न्यूनतम संचयी वृद्धिमान निवेश	न्यूनतम वृद्धिमान बिक्री	न्यूनतम पीएल आई	न्यूनतम संचयी वृद्धिमान निवेश	न्यूनतम वृद्धिमान बिक्री	न्यूनतम पीएल आई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				बड़ा निवेश			सामान्य निवेश		
1	एलईडी लाइट्स (प्रमुख घटक)#	2021-22		100			20		
		2022-23	6%	150	600		40	120	
		2023-24	6%	200	900	36	60	240	7
		2024-25	5%	250	1200	54	80	360	14
		2025-26	5%	300	1500	60	100	480	18
		2026-27	4%		1800	75		600	24
		2027-28				72			24
		कुल		300	6000	297	100	1800	88
2	एलईडी लाइट्स के घटक*	2021-22		5			2		
		2022-23	6%	10	30		4	12	
		2023-24	6%	15	60	2	6	24	1
		2024-25	5%	20	90	4	8	36	1
		2025-26	5%	25	120	5	10	48	2
		2026-27	4%		150	6		60	2
		2027-28				6			2
		कुल		25	450	22	10	180	9

आसान पठनीयता के लिए आंकड़े पूर्णांक में दिए गए हैं।

एलईडी लाइट्स: (प्रमुख घटक जैसे एलईडी चिप पैकेजिंग, रजिस्टर्स, आईसी, फ्यूज और अन्य घटकों में बड़े स्तर के निवेश आदि)

*एलईडी लाइट्स के घटक: एलईडी चिप्स, एलईडी ड्राइवर्स, एलईडी इंजन, मशीनी, पैकेजिंग, मॉड्यूल्स, वायर वाउंड इंडक्टर और दूसरे घटक।

कॉलम (4): संबंधित वर्ष के लिए पीएलआई का वास्तविक संवितरण इस वर्ष के बाद होगा। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 के आधार पर विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री में अधिकतम वृद्धि के लिए और वित्त वर्ष 2021-22 तक आधार वर्ष पर संचयी सीमा वृद्धि की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से, पीएलआई वित्त वर्ष 2023-24 में वितरित किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2021

SUBJECT: PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME (PLI) FOR WHITE GOODS (AIR CONDITIONERS AND LED LIGHTS) MANUFACTURERS IN INDIA

F. No. P-29014/101/2020-LEI.—

1. INTRODUCTION

The Government has approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for White Goods (Air Conditioners and LED Lights) to be implemented over FY 2021-22 to FY 2028-29 with a budgetary outlay of Rs. 6,238 crore.

2. OBJECTIVE

The Production Linked Incentive Scheme for White Goods (PLIWG) proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the White Goods manufacturing value chain. Its prime objectives include removing sectoral disabilities, creating economies of scale, enhancing exports, creating a robust component ecosystem and employment generation.

3. TARGET SEGMENTS

Support under the Scheme will be provided to companies/entities engaged in manufacturing of components of Air Conditioners and LED Lights in India as under:

3.1 Air conditioners:

- i. Air Conditioners (Components- High value Intermediates or Low Value Intermediates or sub-assemblies or a combination thereof)
 - Large Investments
 - Normal Investments
- ii. High Value Intermediates (Copper Tubes, Aluminium Foil and Compressors)
 - Large Investments
 - Normal Investments
- iii. Low Value Intermediates (PCB assembly for controllers, BLDC motors, Service Valves and Cross Flow fans for AC and other components)
 - Large Investments
 - Normal Investments

3.2 LED Lights

- i. LED Lighting Products (Core Components like LED Chip Packaging, Resistors, ICs, Fuses and large-scale investments in other components etc.)
 - Large Investments
 - Normal Investments

- ii. Components of LED Lighting Products (like LED Chips, LED Drivers, LED Engines, Mechanicals, Packaging, Modules, Wire Wound Inductors and other components)
 - Large Investments
 - Normal Investments

4. QUANTUM OF INCENTIVE

4.1 The PLI Scheme shall extend an incentive of 4% to 6% on incremental sales (net of taxes) over the base year of goods manufactured in India and covered under target segments, to eligible companies, for a period of five (5) years subsequent to the base year and one year of gestation period.

4.2 The applicant will have to fulfill both criteria of cumulative incremental investment in plant and machinery as well as incremental sales over the base year in that respective year to be eligible for PLI. The first year of investment will be FY 2021-22 and the first year of incremental sale will be FY 2022-23. Actual disbursement of PLI for a respective year will be subsequent to that year.

4.3 The Scheme is Fund Limited and even in case of over achievement the total pay-out of incentives would be capped at the amount approved by Cabinet.

4.4 All relevant details of the Scheme, for example, base year, eligibility criteria, target segments, quantum of incentive, pre-qualification criteria for different target segments, application period, etc. will be detailed in Scheme Guidelines.

5. ELIGIBILITY

5.1 Incentive under the Scheme shall be provided to Companies making brown field or green field Investments for manufacturing in target segments in India.

5.2 Eligibility of Companies shall be subject to their meeting the pre-qualification criteria for different target segments which will be defined in the Scheme Guidelines.

5.3 One entity may apply for one target segment only. However, separate Group companies may apply for different target segments. Further, sales by entities to their group companies should be at an arm's length price as those to outside group companies.

5.4 Eligibility shall be subject to thresholds of cumulative incremental investment and incremental sales (net of taxes) of manufactured goods (as distinct from traded goods) over the base year for the respective year. An applicant must meet all the threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. Eligibility threshold criteria are detailed in Annexure-A.

5.5 Any entity availing benefits under any other PLI Scheme of Govt. of India will not be eligible under this scheme for same products but the entity may take benefits under other applicable schemes of Govt. of India or schemes of State governments.

5.6 The applicant shall, in its application, declare plan for domestic value addition, employment generation and exports during the tenure of the Scheme.

6. TENURE OF THE SCHEME:

6.1 Support under the Scheme shall be provided for a period of five (5) years subsequent to the base year as defined and one year of gestation period for fructifying investment to be implemented over FY 2021-22 to

FY 2028-29.

6.2 The Scheme shall be open for applications for a period of 6 months initially which may be extended.

6.3 Applications may also be invited anytime during the tenure of Scheme for particular target segment, if required.

6.4 For applications received post the initial application period, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme's tenure.

7. BASE YEAR

FY 2019-20 shall be treated as the base year for computation of cumulative incremental investment and incremental sales (net of taxes) of manufactured goods (as distinct from traded goods) as well as for pre-qualification criteria.

8. SELECTION OF BENEFICIARIES

8.1 Mere assembly of finished goods shall not be incentivized.

8.2 Selection of companies for the Scheme shall be done so as to incentivize manufacturing of components or sub-assemblies which are not manufactured in India presently with sufficient capacity.

8.3 Companies investing in basic/core components shall have a higher priority.

8.4 Within a target segment, 'Large Investment' shall have a higher priority over 'Normal Investment'.

8.5 The actual number of beneficiaries within a target segment shall be decided on the basis of the response of the industry.

9. FINANCIAL OUTLAY

9.1 The PLI Scheme will be implemented within the overall financial limits of ₹ 6,238 Crores only (Rupees Six Thousand Two Hundred and Thirty Eight Crores only) for implementation of the Scheme over a period of 5 years.

9.2 Incentive per beneficiary: The incentive per beneficiary will be applicable on incremental sales (net of taxes) of manufactured goods (as distinct from traded goods) over base year subject to ceilings as may be decided and the beneficiary meeting the cumulative investment criteria.

10. REVIEW AND MONITORING

The Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLIs and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, EGoS will be empowered to make any changes in the modalities of the scheme within the overall financial outlay of Rs. 6,238 crore.

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEXURE-A**1. Eligibility Threshold Criteria: Air Conditioners**

Rs. Crore

Sl.	Segment	Year	PLI @	MINM. Cum. Incr. Investment	MINM. Incr. Sale	MINM. PLI	MINM. Cum. Incr. Investment	MINM. Incr. Sale	MINM. PLI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				LARGE INVESTMENT			NORMAL INVESTMENT		
1	ACs (Components [@])	2021-22		150			50		
		2022-23	6%	300	750		100	250	
		2023-24	6%	400	1500	45	150	500	15
		2024-25	5%	500	2000	90	225	750	30
		2025-26	5%	600	2500	100	300	1125	38
		2026-27	4%		3000	125		1500	56
		2027-28				120			60
		Total		600	9750	480	300	4125	199
2	High Value intermediates of ACs*	2021-22		50			50		
		2022-23	6%	125	250		100	250	
		2023-24	6%	200	625	15	150	500	15
		2024-25	5%	300	1000	38	200	750	30
		2025-26	5%	400	1500	50	250	1000	38
		2026-27	4%		2000	75		1250	50
		2027-28				80			50
		Total		400	5375	258	250	3750	183
3	Lower value intermediates of ACs#	2021-22		20			10		
		2022-23	6%	40	100		20	50	
		2023-24	6%	60	200	6	30	100	3
		2024-25	5%	80	300	12	40	150	6
		2025-26	5%	100	400	15	50	200	8
		2026-27	4%		500	20		250	10
		2027-28				20			10
		Total		100	1500	73	50	750	37

Figures are rounded off for easier readability.

@ACs (Components): High Value Intermediates or Low Value intermediates or sub-assemblies or a combination thereof

*High value intermediates of ACs: Aluminum Foil, Cu tube, Compressor.

Lower value intermediates of ACs: PCB Assembly for Controllers, BLDC Motors, Service Valves for ACs, Cross Flow Fans and other components.

COL. (4): Actual disbursement of PLI for a respective year will be subsequent to that year. For example, subject to fulfilling the conditions of cumulative threshold incremental investment up to FY 2021-22 over base year and threshold incremental sales of manufactured goods over the base year in FY 2022-23, PLI will be disbursed in FY 2023-24.

Annexure-A

2. Eligibility Threshold Criteria: LED Lights

Rs. Crore

Sl.	Segment	Year	PLI @	MINM. Cum. Incr. Investment	MINM. Incr. Sale	MINM. PLI	MINM. Cum. Incr. Investment	MINM. Incr. Sale	MINM. PLI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				LARGE INVESTMENT			NORMAL INVESTMENT		
1	LED Lights (Core Components)#	2021-22		100			20		
		2022-23	6%	150	600		40	120	
		2023-24	6%	200	900	36	60	240	7
		2024-25	5%	250	1200	54	80	360	14
		2025-26	5%	300	1500	60	100	480	18
		2026-27	4%		1800	75		600	24
		2027-28				72			24
		Total		300	6000	297	100	1800	88
2	Components of LED Lights*	2021-22		5			2		
		2022-23	6%	10	30		4	12	
		2023-24	6%	15	60	2	6	24	1
		2024-25	5%	20	90	4	8	36	1
		2025-26	5%	25	120	5	10	48	2
		2026-27	4%		150	6		60	2
		2027-28				6			2
		Total		25	450	22	10	180	9

Figures are rounded off for easier readability.

LED Lights: (Core Components like LED Chip Packaging, Resistors, ICs, Fuses and large scale investments in other components etc.)

***Components of LED Lights:** LED Chips, LED Drivers, LED Engines, Mechanicals, Packaging, Modules, Wire Wound Inductors and other components.

COL. (4): Actual disbursement of **PLI** for a respective year will be subsequent to that year. For example, subject to fulfilling the conditions of cumulative threshold incremental investment up to FY 2021-22 over base year and threshold incremental sales of manufactured goods over the base year in FY 2022-23, PLI will be disbursed in FY 2023-24.